

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2025-26/39a

दिनांक-यथाहस्ताक्षर

विस्तृत दिशा-निर्देश वर्ष 2026-27

कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

A. पात्रता एवं शर्तें :-

1. विद्यार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो।
2. विद्यार्थी राजकीय अथवा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
3. विद्यार्थी के माता-पिता या संरक्षक आयकर दाता न हो।
4. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक, धार्मिक स्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित/अनुदानित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6. विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए उपलब्ध होगी यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष में भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
7. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।
8. विद्यार्थी का आधार व जनाधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है।

B. छात्रवृत्ति की दरें :-

छात्र 75/- प्र.माह (अधिकतम 10 माह)	छात्रा 125/- प्र.माह(अधिकतम 10 माह)
------------------------------------	-------------------------------------

C. आवश्यक दस्तावेज:- जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जनाधार, आधार।

D. तिथि विवरण:-

संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाएं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि	31.07.2026
---	------------

(सीताराम जाट)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)

समग्र शिक्षा अभियान

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat

Designation : Director

Date: 2026.04.29 08:09:19 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21810881

M e-Sign



कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2025-26/39b

दिनांक-यथाहस्ताक्षर

विस्तृत दिशा-निर्देश वर्ष 2026-27

कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत अन्य पिछड़ा संवर्ग (ओ.बी.सी.) के विद्यार्थियों को देय पीएम यशस्वी पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्र प्रवर्तित)

A. पात्रता एवं शर्तें :-

1. विद्यार्थी अन्य पिछड़ा वर्ग का हो।
2. विद्यार्थी राजकीय अथवा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 9/10 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
3. विद्यार्थी के माता-पिता या संरक्षक की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक नहीं हो।
4. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक, धार्मिक स्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित/अनुदानित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6. विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में पढने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए दी जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
7. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।
8. विद्यार्थी का आधार व जनाधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है।

B. छात्रवृत्ति की दरें:- 4000/- प्रति विद्यार्थी (वार्षिक)

C. आवश्यक दस्तावेज:- जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जनाधार, आधार।

D. तिथि विवरण:-

संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाएं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि

31.07.2026

(सीताराम जाट)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)

समग्र शिक्षा अभियान

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat

Designation : Director

Date: 2026.04.29 08:09:19 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21810881

M e-Sign

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2025-26/39C

दिनांक-यथाहस्ताक्षर

विस्तृत दिशा-निर्देश वर्ष 2026-27

कक्षा 6 से 10 में अध्ययनरत अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

A. पात्रता एवं शर्तें :-

- विद्यार्थी अति पिछड़ा वर्ग (1. बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाडिया-लोहार, गाडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी) तथा 5. गडरिया (गाडरी), गायरी) का ही हो।
- विद्यार्थी राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 06 से 10 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
- विद्यार्थी के माता-पिता या संरक्षक की वार्षिक आय 2.00 लाख से अधिक नहीं हो।
- विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक, धार्मिक स्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
- विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित/अनुदानित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
- विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में पढने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए दी जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
- राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।
- विद्यार्थी का आधार व जनाधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है।

B. छात्रवृत्ति की दरें :-

वर्ग	कक्षा	दरें (10माह हेतु)	कक्षा	दरें (10माह हेतु)
छात्र	6 से 8	50/- प्र.माह	9 से 10	60/- प्र.माह
छात्रा	6 से 8	100/- प्र.माह	9 से 10	120/- प्र.माह

C. आवश्यक दस्तावेज:- जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जनाधार, आधार।

D. तिथि विवरण:-

संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाएँ ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि	31.07.2026
---	-------------------

(सीताराम जाट)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)

समग्र शिक्षा अभियान

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat

Designation : Director

Date: 2026.04.29 08:09:19 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21810881

M e-Sign

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2025-26/39d

दिनांक-यथाहस्ताक्षर

विस्तृत दिशा-निर्देश वर्ष 2026-27

पोस्ट-कारगिल युद्धों तथा विभिन्न इमरजेन्सी काउन्टरों में शहीद/स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृत्ति

A. पात्रता एवं शर्तें :-

1. विद्यार्थी पोस्ट-कारगिल युद्धों (01.04.1999 के पश्चात्) तथा विभिन्न इमरजेन्सी काउन्टरों में शहीद/स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों का आश्रित हो।
2. विद्यार्थी राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 01 से 12 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
3. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक, धार्मिक स्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
4. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित/अनुदानित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
5. विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में पढने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए दी जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
6. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।
7. विद्यार्थी का आधार व जनाधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है।

B. छात्रवृत्ति की दरें :- 2500 रूपये वार्षिक

C. आवश्यक दस्तावेज:-

अभिभावक के शहीद या स्थायी विकलांग सैनिक होने का प्रमाण पत्र, जनाधार, आधार।

D. तिथि विवरण:-

संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाएँ ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि	31.07.2026
---	-------------------

(सीताराम जाट)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)

समग्र शिक्षा अभियान

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat

Designation : Director

Date: 2026.04.29 08:09:19 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21810881

M e-Sign

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2025-26/39e

दिनांक-यथाहस्ताक्षर

विस्तृत दिशा-निर्देश वर्ष 2026-27

भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययनरत प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति

A. पात्रता एवं शर्तें :-

1. छात्रा भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्री हो।
2. छात्रा राजकीय विद्यालय अथवा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 11/12 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
3. गत कक्षा में न्यूनतम 55% अंक प्राप्त किये हो।
4. छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक, धार्मिक स्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित/अनुदानित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6. छात्रा को किसी भी कक्षा में पढने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए दी जाएगी। यदि कोई छात्रा अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करती है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
7. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।
8. विद्यार्थी का आधार व जनाधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है।

B. छात्रवृत्ति की दरें :- 2500 रुपये वार्षिक

C. आवश्यक दस्तावेज:- अभिभावक के भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र, जनाधार, आधार।

D. तिथि विवरण:-

संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाएं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि	31.07.2026
---	-------------------

(सीताराम जाट)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)

समग्र शिक्षा अभियान

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat

Designation : Director

Date: 2026.04.29 08:09:19 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21810881

M e-Sign

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2025-26/39f

दिनांक-यथाहस्ताक्षर

विस्तृत दिशा-निर्देश वर्ष 2026-27

कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्र प्रवर्तित)

A. पात्रता एवं शर्तें :-

1. विद्यार्थी अनुसूचित जाति का हो।
2. विद्यार्थी राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध निजी विद्यालयों में कक्षा 9/10 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
3. विद्यार्थी के माता-पिता या संरक्षक की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक नहीं हो।
4. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक/अन्य स्रोत से अध्ययन हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित/अनुदानित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6. विद्यार्थी को एक कक्षा में पढने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए दी जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
7. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।
8. विद्यार्थी का आधार व जनाधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है।

B. छात्रवृत्ति की दरें:-

डेस्कॉलर	3500 रु./- वार्षिक	हॉस्टलर	7000 रु./- वार्षिक
----------	--------------------	---------	--------------------

C. आवश्यक दस्तावेज:- सक्षम स्तर से जारी- जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जनाधार, आधार। संस्था प्रधान इन दस्तावेजों को संधारित रखेंगे।

D. तिथि विवरण:-

संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाएं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि	31.07.2026
---	-------------------

(सीताराम जाट)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat

Designation : Director

Date: 2026.04.29 08:09:19 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21810881

M e-Sign

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2025-26/39g

दिनांक-यथाहस्ताक्षर

विस्तृत दिशा-निर्देश वर्ष 2026-27

कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्र प्रवर्तित)

A. पात्रता एवं शर्तें :-

1. विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति का हो।
2. विद्यार्थी राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध निजी विद्यालयों में कक्षा 9/10 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
3. विद्यार्थी के माता-पिता या संरक्षक की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक नहीं हो।
4. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक/अन्य स्रोत से अध्ययन हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित/अनुदानित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6. विद्यार्थी को एक कक्षा में पढने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए दी जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
7. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।
8. विद्यार्थी का आधार व जनाधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है।

B. छात्रवृत्ति की दरें:-

विवरण	डेस्कॉलर	हॉस्टलर
छात्रवृत्ति/माह (अधिकतम 10 माह के लिए)	225 रुपये	525 रुपये
पुस्तकें व एडहॉक ग्राण्ट प्रति वर्ष (एक मुश्त)	750 रुपये	1000 रुपये

C. **आवश्यक दस्तावेज:-** सक्षम स्तर से जारी- जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जनाधार, आधार। संस्था प्रधान इन दस्तावेजों को संधारित रखेंगे।

D. तिथि विवरण:-

संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाएँ ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि	31.07.2026
---	-------------------

(सीताराम जाट)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना अधिकारी (वरिष्ठ)

Digitally signed by Sita Ram Jat

Designation : Director

Date: 2026.04.29 08:09:19 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21810881

M e-Sign

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2025-26/39h

दिनांक-यथाहस्ताक्षर

विस्तृत दिशा-निर्देश वर्ष 2026-27

केन्द्र प्रवर्तित सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

A. पात्रता एवं शर्तें :-

- विद्यार्थी के माता-पिता/अभिभावक सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में हो। इस हेतु स्थानीय निकाय/सक्षम स्तर से जारी प्रमाण-पत्र अनिवार्य होगा।
- विद्यार्थी राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 10 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
- विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक/अन्य स्रोत से अध्ययन हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
- विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित/अनुदानित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
- विद्यार्थी को एक कक्षा में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए दी जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
- राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।
- विद्यार्थी का आधार व जनाधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है।

B. छात्रवृत्ति की दरें:-

डेस्कॉलर		हॉस्टलर	
कक्षा छात्र/छात्रा	वार्षिक अनुदान	कक्षा छात्र/छात्रा	वार्षिक अनुदान
1 से 10	3500	3 से 10	8000

C. **आवश्यक दस्तावेज:-** अभिभावक के सफाईकर्मी या जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे होने का प्रमाण-पत्र, जनाधार, आधार। संस्था प्रधान इन दस्तावेजों को संधारित रखेंगे।

D. तिथि विवरण:-

संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाएं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि	31.07.2026
---	-------------------

(सीताराम जाट)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेश (वरिष्ठ)

Digitally signed by Sita Ram Jat

Designation: Director

Date: 2026.04.29 08:09:19 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21810881

M e-Sign

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2025-26/40068-7734720 दिनांक : यथा हस्ताक्षर

दिशा-निर्देश वर्ष 2026-27

कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत अति पिछडा वर्ग (MBC) के विद्यार्थियों को देय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति

पात्रता एवं शर्तें:-

1. विद्यार्थी को अति पिछडा वर्ग (MBC)का होना चाहिए।
2. विद्यार्थी राजकीय विद्यालय में नियमित विद्यार्थी के रूप में कक्षा 11/12 में अध्ययनरत हो।
3. विद्यार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो।
4. विद्यार्थी जिनके माता पिता/संरक्षक की वार्षिक आय अधिकतम 2.50 लाख रुपये हो।
5. जाति प्रमाण-पत्र व आय प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से जारी हुए हो एवं नियोजित माता-पिता/संरक्षक होने की स्थिति में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा आय प्रमाण पत्र जारी हुआ हो।
6. विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में अध्ययनरत रहते हुए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए देय होगी यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
7. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
8. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक/अन्य स्रोत से अध्ययन हेतु किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
9. उक्त योजनान्तर्गत आधार एवं जनाधार ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य होगा।
10. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।
11. छात्रवृत्ति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निर्देशान्तर्गत संचालित की जायेगी।

छात्रवृत्ति की दरें-

कक्षा	छात्रावासी रुपये	डेस्कालर रुपये
11-12	380.00 प्रतिमाह	230.00 प्रतिमाह
कुल राशि	3800 रुपये (अधिकतम 10 माह के लिए)	2300 रुपये (अधिकतम 10 माह के लिए)

RajKaj Ref No.:
21810881

M e-Sign

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.04.29 08:09:19 IST
Reason: Approved

आवश्यक दस्तावेज— सक्षम स्तर से जारी जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, जनआधार, आधार। संस्था प्रधान इन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां को संधारित रखेंगे। (सामान्य वित्त एवं लेखा नियम भाग 1 के नियम 327 के अनुसार।)

छात्रवृत्ति हेतु प्रस्ताव प्रेषण की अन्तिम तिथि :-

विवरण	अन्तिम तिथि
संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाएं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि	31.07.2026

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.04.29 08:09:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21810881
M e-Sign

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2025-26/40068-7734720/दिनांक : यथा हस्ताक्षर
दिशा-निर्देश वर्ष 2026-27

कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति (SC) के विद्यार्थियों को देय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति

I. पात्रता एवं शर्तें:-

1. विद्यार्थी अनुसूचित जाति वर्ग का होना चाहिए।
2. विद्यार्थी राजकीय विद्यालय में नियमित विद्यार्थी के रूप में कक्षा 11/12 में अध्ययनरत हो।
3. विद्यार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो।
4. इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति लेने वाले विद्यार्थी कोई अन्य छात्रवृत्ति के पात्र नहीं होंगे।
5. विद्यार्थी के माता-पिता या उनके संरक्षक (माता-पिता जीवित न होने पर) की वार्षिक आय अधिकतम 2.50 लाख रु. हो।
6. विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में अध्ययनरत रहते हुए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए देय होगी यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
7. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
8. योजनान्तर्गत आधार एवं जनाधार ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य होगा।
9. योजनान्तर्गत विद्यार्थी का एनएसपी एप्प ओटीआर एप्प के माध्यम से फेस ऑथेन्टिकेशन द्वारा ओटीआर नम्बर जनरेट होना आवश्यक है।
10. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।
11. छात्रवृत्ति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निर्देशान्तर्गत संचालित की जावेगी।

छात्रवृत्ति की दरें-

कक्षा	छात्रावासी रूपये	डेस्कालर रूपये
11-12	400.00 प्रतिमाह	250.00 प्रतिमाह
कुल राशि	4000 रूपये (अधिकतम 10 माह के लिए)	2500 रूपये (अधिकतम 10 माह के लिए)

RajKaj Ref No.:
21810881

M e-Sign

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.04.29 08:09:19 IST
Reason: Approved

आवश्यक दस्तावेज— जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, जनआधार, आधार। संस्था प्रधान इन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां को संधारित रखेंगे। (सामान्य वित्त एवं लेखा नियम भाग 1 के नियम 327 के अनुसार।)

छात्रवृत्ति हेतु प्रस्ताव प्रेषण की अन्तिम तिथि :-

विवरण	अन्तिम तिथि
संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाएं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि	31.07.2026

(सीताराम जाट)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)

समग्र शिक्षा अभियान

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat

Designation : Director

Date: 2026.04.29 08:09:19 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No.:

21810881

M e-Sign

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2025-26/40068-7734720/दिनांक : यथा हस्ताक्षर
दिशा-निर्देश वर्ष 2026-27

कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति (ST) के विद्यार्थियों को देय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति

पात्रता एवं शर्तें:-

1. विद्यार्थी राजकीय विद्यालय में नियमित विद्यार्थी के रूप में कक्षा 11/12 में अध्ययनरत हो।
2. विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग का होना चाहिए।
3. विद्यार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो।
4. इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति लेने वाले छात्र कोई अन्य छात्रवृत्ति के पात्र नहीं होंगे।
5. विद्यार्थी के माता-पिता / संरक्षक की वार्षिक आय अधिकतम 2,50,000 रुपये तक हो।
6. आय प्रमाण-पत्र व जाति प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से जारी किया गया हो। नियोजित माता-पिता/संरक्षक होने की स्थिति में कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा आय प्रमाण पत्र जारी हो।
7. विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में अध्ययनरत रहते हुए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए देय होगी यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा में छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
8. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
9. योजनान्तर्गत आधार एवं जनाधार ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य होगा। आधार बेस्ड पेमेन्ट व्यवस्था लागू होने पर छात्रवृत्ति राशि का भुगतान विद्यार्थी के आधार नम्बर से सीडेड बैंक खाते में किया जायेगा।
10. योजनान्तर्गत विद्यार्थी का एनएसपी एप्प ओटीआर एप्प के माध्यम से फेस ऑथेन्टिकेशन द्वारा ओटीआर नम्बर जनरेट होना आवश्यक है।
11. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।
12. छात्रवृत्ति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निर्देशान्तर्गत संचालित की जावेगी।

छात्रवृत्ति की दरें-

कक्षा	छात्रावासी रूपये	डेस्कालर रूपये
11-12	380.00 प्रतिमाह	230.00 प्रतिमाह
कुल राशि	3800 रूपये (अधिकतम 10 माह के लिए)	2300 रूपये (अधिकतम 10 माह के लिए)

RajKaj Ref No.:
21810881

M e-Sign

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.04.29 08:09:19 IST
Reason: Approved

आवश्यक दस्तावेज—सक्षम स्तर से जारी जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, जनआधार, आधार। संस्था प्रधान इन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां को संधारित रखेंगे। (सामान्य वित्त एवं लेखा नियम भाग 1 के नियम 327 के अनुसार।)

छात्रवृत्ति हेतु प्रस्ताव प्रेषण की अन्तिम तिथि :-

विवरण	अन्तिम तिथि
संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाएँ ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि	31.07.2026

(सीताराम जाट)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)

समग्र शिक्षा अभियान

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat

Designation : Director

Date: 2026.04.29 08:09:19 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21810881

M e-Sign

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2025-26/40068-7734720/दिनांक : यथा हस्ताक्षर
दिशा-निर्देश वर्ष 2026-27

केन्द्र प्रवर्तित OBC, DNT, EBC वर्ग के अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 11 से 12)

पात्रता एवं शर्तें:-

1. विद्यार्थी राजकीय विद्यालय में नियमित विद्यार्थी के रूप में कक्षा 11/12 में अध्ययनरत हो।
2. विद्यार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो।
3. विद्यार्थी OBC(अन्य पिछड़ा वर्ग)/DNT (DNTवर्ग की सूची संलग्न)/EBC (आर्थिक पिछड़ा वर्ग)का होना चाहिए अर्थात-(OBC/DNT/EBC)वर्ग में निम्नलिखित 17 श्रेणियों वाले विद्यार्थी ही आवेदन कर सकते हैं। जैसे- बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, अन्त्योदय कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, स्टेट बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, अनाथ बालिका/बालक, विधवा स्वयं, विधवा की पुत्री/पुत्र, तलाकशुदा महिला स्वयं, तलाकशुदा महिला की पुत्री/पुत्र, विशेष योग्यजन स्वयं, विशेष योग्यजन की पुत्री/पुत्र(उक्त श्रेणी के गत परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत प्राप्तांक वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी।)
4. विद्यार्थी जिनके माता पिता/संरक्षक की वार्षिक आय अधिकतम 2.50 लाख रुपये हो।
5. जाति प्रमाण-पत्र व आय प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से जारी हुए हो। नियोजित माता-पिता/संरक्षक होने की स्थिति में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा आय प्रमाण पत्र जारी हुए हो।
6. विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में अध्ययनरत रहते हुए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए देय होगी यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष अथवा बाद के वर्ष के लिए छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
7. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
8. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक अन्य स्रोत से अध्ययन हेतु किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
9. योजनान्तर्गत आधार एवं जनाधार ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य होगा। आधार बेस्ड पेमेन्ट व्यवस्था लागू होने पर छात्रवृत्ति राशि का भुगतान विद्यार्थी के आधार सीडेड बैंक खाता में किया जायेगा।
10. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।
11. छात्रवृत्ति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निर्देशान्तर्गत संचालित की जावेगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.04.29 08:09:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21810881

M e-Sign

छात्रवृत्ति की दरें-

कक्षा	वार्षिक राशि (रूपये में)		
11-12	Academic Allowance	Tuition Fee	Total
कुल राशि	5000	0	5000

आवश्यक दस्तावेज – सक्षम स्तर से जारी जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, जनआधार, आधार एवं श्रेणी प्रमाण पत्र। संस्था प्रधान इन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां को संधारित रखेंगे। (सामान्य वित्त एवं लेखा नियम भाग 1 के नियम 327 के अनुसार।)

छात्रवृत्ति हेतु प्रस्ताव प्रेषण की अन्तिम तिथि :-

विवरण	अन्तिम तिथि
संस्था प्रधान द्वारा पोर्टल पर वाछित सूचनाएँ ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि	31.07.2026

(सीताराम जाट)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)

समग्र शिक्षा अभियान

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat

Designation : Director

Date: 2026.04.29 08:09:19 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21810881

M e-Sign

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2025-26/40068-7734720/2a दिनांक-यथाहस्ताक्षर

विस्तृत दिशा-निर्देश वर्ष 2026-27

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित सैकेण्डरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण जनजाति प्रतिभावान छात्रों को आर्थिक सहायता।

- 1 पात्रता
 - विद्यार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो।
 - छात्र के बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात निरन्तर अध्ययन में अन्तराल (गैप) नहीं होना चाहिए।
 - छात्र अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो।
 - छात्र के माता-पिता/अभिभावक/संरक्षक आयकर दाता न हो।
 - राजकीय छात्रावास में निवासरत रहकर अध्ययन करने वाले छात्रों को इस योजना में लाभ देय नहीं होगा।
 - छात्र राजकीय विद्यालय में सामान्य शिक्षा में नियमित अध्ययनरत हो।
 - 10 वीं बोर्ड की परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों को 11 वीं कक्षा एवं 12 वीं कक्षा में अध्ययनरत रहकर 11 वीं कक्षा में कम से कम 48 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो तो कक्षा 12 वीं में अध्ययन के दौरान राशि देय होगी।
- 2 देय लाभ
 - बोर्ड कक्षा में जो छात्र प्रथम श्रेणी (60 प्रतिशत) से उत्तीर्ण होते हैं उन्हें 350/- रुपये प्रतिमाह की दर से 10 माह हेतु 3500/- रुपये की प्रोत्साहन राशि का भुगतान एक मुश्त किया जायेगा।
3. आवश्यक दस्तावेज
 1. जाति प्रमाणपत्र।
 2. आधार कार्ड एवं जनाधार कार्ड।
 3. माता-पिता/पति/अभिभावक /संरक्षक का आयकर दाता नहीं होने बाबत स्वयं का आय घोषणा पत्र।
 4. मूल निवासी प्रमाण-पत्र।
 5. कक्षा 10 वीं की अंकतालिका।
4. तिथि विवरण

संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाएं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि – **31.07.2026**

(सीताराम जाट)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

एवं पदेन अतिरिक्त राशि (अभियान)

संस्था प्रधान अभियान

Digitally signed by Sita Ram Jat

Designation : Director

Date: 2026.04.29 08:09:19 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21810881

M e-Sign

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2025-26/40068-7734720/2a दिनांक-यथाहस्ताक्षर

विस्तृत दिशा-निर्देश वर्ष 2026-27

जनजाति छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता।

1. पात्रता
 - छात्रा राजस्थान की मूल निवासी हो।
 - छात्रा राजकीय विद्यालय में 11वीं व 12 वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत हो।
 - छात्रा अनुसूचित जनजाति वर्ग से सम्बन्धित हो।
 - छात्रा के माता-पिता/अभिभावक/संरक्षक/पति आयकर दाता न हो।
 - जो छात्रा सरकार द्वारा संचालित छात्रावास में निवासरत रहकर अध्ययन कर रही है उन्हें उक्त योजना में लाभ देय नहीं होगा।
2. देय लाभ
 - जनजाति छात्राएं जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत हो उन्हें उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु 350/- रुपये प्रतिमाह की दर से 10 माह हेतु 3500/- रुपये की प्रोत्साहन राशि का भुगतान एक मुश्त किया जायेगा।
3. आवश्यक दस्तावेज
 1. जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं जनाधार कार्ड।
 2. माता-पिता/पति/अभिभावक/संरक्षक का आयकर दाता नहीं होने बाबत स्वयं का आय घोषणा पत्र।
 3. मूल निवासी प्रमाण-पत्र।
4. तिथि विवरण संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाएं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि **31.07.2026**

(सीताराम जाट)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)

समग्र शिक्षा अभियान

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat

Designation : Director

Date: 2026.04.29 08:09:19 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21810881

M e-Sign

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:—शिविरा—मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2025—26/40068—7734720/2a दिनांक—यथाहस्ताक्षर

विस्तृत दिशा—निर्देश वर्ष 2026—27

प्रतिभावान सहरिया छात्रों को प्रोत्साहन छात्रवृत्ति (बोर्ड परीक्षा 10 वीं एवं 12 वीं में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होने पर)

- 1 पात्रता
 - छात्र राजस्थान के बारां जिले की जनजाति सहरिया वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
 - छात्र राजकीय विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत होना चाहिये।
 - छात्र के माता—पिता/अभिभावक/संरक्षक/पति आयकर दाता न हो।
 - जो छात्र सरकार द्वारा संचालित आवासिय विद्यालय/छात्रावास में निवासरत रहकर अध्ययन कर रहे हैं उन्हें उक्त योजना में लाभ देय नहीं होगा।
 - आधार कार्ड एवं जनाधार कार्ड होने चाहिए।
 - राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- 2 देय लाभ
 - प्रति छात्र को 6000/— रु इस प्रकार कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर किसी एक वर्ष में कुल राशि रूपयें 6000/—रु. प्रोत्साहन राशि के रूप में देना।
- 3 आवश्यक दस्तावेज
 1. छात्र के माता/पिता/अभिभावक/संरक्षक का आयकरदाता नहीं होने बाबत निर्धारित प्रारूप में स्वयं आय घोषणा—पत्र समक्ष स्तर से प्रमाणित हो।
 2. छात्र का संबंधित संस्था प्रधान द्वारा जारी राजकीय विद्यालय में नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र।
 3. छात्र की बोर्ड परीक्षा की अंक तालिका की प्रति।
 4. जाति प्रमाणपत्र।
 5. आधार कार्ड एवं जनाधार कार्ड।
 6. मूल निवासी प्रमाण—पत्र।
4. तिथि विवरण संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाएं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि **31.07.2026**

(सीताराम जाट)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)

समग्र शिक्षा अभियान

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat

Designation : Director

Date: 2026.04.29 08:09:19 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21810881

M e-Sign

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2025-26/40068-7734720/2a दिनांक-यथाहस्ताक्षर

विस्तृत दिशा-निर्देश वर्ष 2026-27

सहरिया क्षेत्र के सहरिया जनजाति विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता (कक्षा 1 से 5 तक)

- 1 योजना का नाम एवं क्षेत्र बांरा जिले के सहरिया क्षेत्र के सहरिया जनजाति विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता (कक्षा 6 से 12 तक)
- 2 योजना का उद्देश्य सहरिया जनजाति के ऐसे परिवार जो पढ़ाई का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है। उन सहरिया परिवारों के छात्र/छात्राओं को स्टेशनरी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना जिससे कि उनकी पढ़ाई का खर्चा ना बढ़े एवं उनकी पढ़ाई से परिवार पर कोई अतिरिक्त भार न पड़े।
- 3 परिभाषा कक्षा 1 से 5 तक के जनजाति सहरिया छात्र-छात्राओं को स्टेशनरी के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- 4 पात्रता
 1. ऐसे सहरिया छात्र/छात्राएं जो बांरा जिले के राजकीय विद्यालय में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हो।
 2. बांरा जिले की मूल निवासी हो तथा सहरिया परिवार से हो।
 3. छात्र/छात्रा के माता-पिता /अभिभावक/संरक्षक आयकर दाता ना हो।
- 5 देय लाभ बांरा जिले के सहरिया छात्र/छात्राएं को कक्षा 1 से 5 तक 1000 रु. प्रति छात्र/छात्रा प्रति वर्ष।
- 6 आवश्यक दस्तावेज
 1. जाति प्रमाणपत्र।
 2. मूल निवासी प्रमाण-पत्र।
 3. आधार कार्ड एवं जनाधार कार्ड।
 4. नियमति अध्ययनरत प्रमाण पत्र
- 7 तिथि विवरण संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाएं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि **31.07.2026**

(सीताराम जाट)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)

समग्र शिक्षा अभियान

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat

Designation : Director

Date: 2026.04.29 08:09:19 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21810881

M e-Sign

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2025-26/40068-7734720/2a दिनांक-यथाहस्ताक्षर

विस्तृत दिशा-निर्देश वर्ष 2026-27

सहरिया क्षेत्र के सहरिया जनजाति विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता (कक्षा 6 से 12 तक)

- 1 योजना का नाम एवं क्षेत्र बांरा जिले के सहरिया क्षेत्र के सहरिया जनजाति विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता (कक्षा 6 से 12 तक)
- 2 योजना का उद्देश्य सहरिया जनजाति के ऐसे परिवार जो पढ़ाई का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है। ऐसे सहरिया छात्र/छात्राएं जो घर से राजकीय विद्यालयों में नियमित रूप से अध्ययनरत है उनको स्टेशनरी एवं पौशाक क्रय हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना, जिससे उनके परिवार में उनकी पढ़ाई का खर्चा ना बढ़े एवं उनकी पढ़ाई से परिवार पर कोई अतिरिक्त भार ना पड़े।
- 3 परिभाषा ऐसे सहरिया आदिम जनजाति के छात्र/छात्राएं जो कक्षा 6 से 12 तक राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत हो जिन्हें छात्रावास में निवास करने हेतु स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता हो।
- 4 देय लाभ बारां जिले के सहरिया छात्र/छात्राएं को कक्षा 6 से 12 वीं तक 2500 रु. प्रति छात्र/छात्रा प्रति वर्ष।
- 5 पात्रता
 1. ऐसे सहरिया छात्र/छात्राएं जो बारां जिले के किसी भी राजकीय विद्यालय में नियमित प्रवेश ले लिया हो/अध्ययनरत हो।
 2. वह बांरा जिले की मूल निवासी हो तथा सहरिया परिवार से हो।
 3. विभागीय किसी भी आवासीय विद्यालय/आश्रम छात्रावास में निवासरत ना हो।
 4. छात्र/छात्रा के माता-पिता/अभिभावक/संरक्षक आयकर दाता ना हो।
- 6 आवश्यक दस्तावेज
 1. जाति प्रमाणपत्र।
 2. मूल निवासी प्रमाण-पत्र।
 3. आधार कार्ड एवं जनाधार कार्ड।
 4. बैंक पास बुक।
 5. नियमति अध्ययनरत प्रमाण पत्र
- 7 तिथि विवरण संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाएं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि **31.07.2026**

(सीताराम जाट)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)

समग्र शिक्षा अभियान

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat

Designation : Director

Date: 2026.04.29 08:09:19 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21810881

M e-Sign